सचिव स्टेट बोर्ड ऑफ एक्जामिनेशन
संचालनालय, रोजगार एवं प्रशिक्षण, छत्तीसगढ़

दूरभाष : 0771-2971560 ई-मेल : ttcdetraipur@gmail.com

क्रमांक : संरोप्र/टी.टी.सी./परीक्षा/2016/ 3771 /रायपुर, दिनांक 07/05/2016

प्रति,

1. **समस्त संयुक्त संचालक,**
   क्षेत्रीय कार्यालय, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थायें
2. **समस्त प्राचार्य/संस्था प्रमुख,**
   शासकीय एवं निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था,
   छत्तीसगढ़।
3. **समस्त केन्द्राध्यक्ष,**
   (आईटीआई की परीक्षा हेतु)।

विषयः- **स्टेट बोर्ड ऑफ एक्जामिनेशन की दिनांक 03.05.2016 को संपन्न बैठक में लिये गये निर्णय/की गई अनुसंशाओं पर समयबद्ध कार्यवाही करना।**

-00-

दिनांक 03.05.2016 को श्री एस.एस. बजाज, आयुक्त-सह-सचिव, रोजगार एवं प्रशिक्षण एवं अध्यक्ष, स्टेट बोर्ड ऑफ एक्जामिनेशन की अध्यक्षता में इन्द्रावती भवन, नया रायपुर में स्टेट बोर्ड ऑफ एक्जामिनेशन की बैठक संपन्न हुई जिसमें अखिल भारतीय व्यवसायिक परीक्षा माह जनवरी/फरवरी, 2016 एवं राज्य व्यवसायिक परीक्षा माह मार्च, 2016 के परीक्षाफल घोषित किये गये। बोर्ड की बैठक में राज्य की आईटीआई में पारदर्शिता एवं शुचिता के साथ योजनाबद्ध, समयबद्ध कार्ययोजना तैयार कर सभी परीक्षाओं का संपादन किये जाने के लिये सर्वसंबंधितों को कार्यवाही करने के लिये निर्देशित किया गया है। इस हेतु स्टेट बोर्ड ऑफ एक्जामिनेशन की बैठक में निम्न निर्णय एवं अनुशंसायें पारित की गई-

1. महानिदेशालय(प्रशिक्षण), नई दिल्ली से माह जनवरी/फरवरी, 2016 में आयोजित Non-MIS Pattern (Semester System) के सैद्धांतिक परीक्षाओं के अंक प्राप्त होने पर एकजाई परिणाम तैयार कर संस्थाओं को उपलब्ध कराया जावें- (कार्यवाही सचिव, स्टेट बोर्ड ऑफ एक्जामिनेशन के द्वारा की जायेगी)।
2. सभी परीक्षाओं में 50 प्रतिशत से कम परिणाम वाले संस्थाओं के संस्था प्रमुखों को संबंधित केन्द्राध्यक्ष एवं क्षेत्रीय संयुक्त संचालक की मॉनिटरिंग के अन्तर्गत संबंधित परीक्षार्थियों को विषय ज्ञान से अपडेट कराने अतिरिक्त कक्षायें लेने के लिये निर्देशित किया गया। प्रत्येक नियमित परीक्षा प्रारंभ होने के पूर्व कम-से-कम दो मॉक टेस्ट संस्थाओं द्वारा अनिवार्य रूप से लिया जावें।
3. NCVT/SCVT की परीक्षाओं के लिये परीक्षार्थियों से ली जाने वाली परीक्षा फीस की जानकारी विज्ञापन के रूप में समाचार पत्रों के माध्यम से दिया जावें- (कार्यवाही सचिव, स्टेट बोर्ड ऑफ एक्जामिनेशन के द्वारा की जायेगी)।
4. प्रायोगिक परीक्षा के लिये इंजीनियरिंग कॉलेज एवं पॉलिटेक्निक के साथ-साथ आई.टी.आई. के पात्रता रखने वाले प्रशिक्षण अधिकारी एवं प्रशिक्षण अधीक्षकों को भी अन्य केन्द्रों में

परीक्षक के रूप में भी नियुक्त किये जा सकेंगे। अध्यक्ष/सचिव, स्टेट बोर्ड ऑफ एक्जामिनेशन के द्वारा या उनके अनुमोदन से परीक्षा केन्द्रों में प्रायोगिक परीक्षक नियुक्त करने की कार्यवाही के लिये निर्देशित किया गया। इस हेतु व्यवसायवार योग्य एवं पात्र असेसर्स/एक्जामिनर्स का पूल तैयार करने की कार्यवाही की जावें।

5. NCVT/SCVT की आयोजित परीक्षाओं में विभाग के अन्य संस्थाओं यथा इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक तथा रोजगार कार्यालयों आदि के अधिकारियों को निर्धारित परीक्षा केन्द्रों में विशेष आब्जर्वर के रूप में नियुक्त करने के प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया- (कार्यवाही अध्यक्ष/सचिव, स्टेट बोर्ड ऑफ एक्जामिनेशन के द्वारा की जायेगी)।

6. प्रैक्टिकल एक्जाम हेतु उपस्थित बाह्य परीक्षकों को (शासकीय स्टाफ को छोड़कर) परीक्षा केन्द्र के बजट अथवा विकास निधि से परीक्षा मानदेय के अतिरिक्त टी.ए./डी.ए. उपलब्ध कराने के प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

7. उड़नदस्ता दल को राज्य शासन द्वारा समय-समय पर निर्धारित दर अनुसार तथा पात्रता अनुसार किराये से वाहन उपलब्ध कराने तथा परीक्षा केन्द्र से भुगतान करने के प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

8. NCVT/SCVT की सभी प्रायोगिक परीक्षायें निर्धारित परीक्षा केन्द्रों के माध्यम से संबंधित शासकीय एवं निजी आई.टी.आई में ही संपादित कराने के प्रस्ताव पर तथा प्रत्येक परीक्षा केन्द्र के प्रत्येक व्यवसाय की प्रायोगिक परीक्षा के लिये विशेष प्रायोगिक परीक्षा आब्जर्वर नियुक्त करने के प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया- (कार्यवाही सचिव, स्टेट बोर्ड ऑफ एक्जामिनेशन/क्षेत्रीय संयुक्त संचालक के द्वारा सचिव, स्टेट बोर्ड ऑफ एक्जामिनेशन के अनुमोदन से की जायेगी)।

9. प्रत्येक परीक्षा केन्द्र (प्रायोगिक एवं सैद्धांतिक परीक्षा के लिये) में अनिवार्य रूप से सीसीटीव्ही कैमरा का इंस्टालेशन कर केन्द्राध्यक्ष एवं आब्जर्वर्स द्वारा मानिटरिंग करने के लिये तथा परीक्षा केंद्र के द्वारा फुटेज सुरक्षित रखते हुए सचिव, स्टेट बोर्ड ऑफ एक्जामिनेशन को परीक्षा समाप्ति के 3 दिवस के अंदर उपलब्ध कराया जावें- (कार्यवाही समस्त केन्द्राध्यक्ष एवं प्रभारी परीक्षा केन्द्र- प्रायोगिक एवं सैद्धांतिक परीक्षा)।

10. SCVT की परीक्षायें ऑन-लाईन लिये जाने के लिये कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया- (कार्यवाही सचिव, स्टेट बोर्ड ऑफ एक्जामिनेशन के द्वारा की जायेगी)।

7-5-2016

(सुरेश त्रिपाठी)
सचिव
स्टेट बोर्ड ऑफ एक्जामिनेशन
रोजगार एवं प्रशिक्षण, संचालनालय
छत्तीसगढ़

क्रमांक : संरोप्र/टी.टी.सी./परीक्षा/2016/ 3771 /रायपुर, दिनांक 07/05/2016

प्रतिलिपिः-

1. आयुक्त-सह-सचिव, रोज़गार एवं प्रशिक्षण, छत्तीसगढ़ नया रायपुर।
2. आयुक्त-सह-सचिव, तकनीकी शिक्षा, संचालनालय छत्तीसगढ़। दिनांक 03.05.2016 को आयुक्त-सह-सचिव, रोजगार एवं प्रशिक्षण एवं अध्यक्ष, स्टेट बोर्ड ऑफ एक्जामिनेशन की अध्यक्षता में इन्द्रावती भवन, नया रायपुर में संपन्न स्टेट बोर्ड ऑफ एक्जामिनेशन की बैठक में लिये गये निर्णय/अनुशंसा अनुसार बिंदु 5 पर आवश्यक कार्यवाही के लिये कृपया सूचनार्थ।
3. कलेक्टर्स, समस्त जिला, छत्तीसगढ़।
4. संयुक्त संचालक (रोजगार), संचालनालय, रोजगार एवं प्रशिक्षण छत्तीसगढ़। दिनांक 03.05.2016 को आयुक्त-सह-सचिव, रोजगार एवं प्रशिक्षण एवं अध्यक्ष, स्टेट बोर्ड ऑफ एक्जामिनेशन की अध्यक्षता में इन्द्रावती भवन, नया रायपुर में संपन्न स्टेट बोर्ड ऑफ एक्जामिनेशन की बैठक में लिये गये निर्णय/अनुशंसा अनुसार बिंदु 5 पर आवश्यक कार्यवाही के लिये कृपया सूचनार्थ।

7.5.2016

सचिव

स्टेट बोर्ड ऑफ एक्जामिनेशन

संचालनालय रोजगार एवं प्रशिक्षण

छत्तीसगढ़